कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

दूरभाष एवं फैक्स नं0:–01374.223804 Email Id :- eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com

पत्रांक 88 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0 दिनांक 19/01/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
कोट बंगला, उत्तरकाशी।

विषय– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.316 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण (FP/UK/ROAD/34286/2018) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–(1)– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक–537 / FP/UK/ROAD/34286/2018 /दिनांक 24/08/2021

(2) उपमहानिरीक्षक, वन (के0) का पत्रांक संख्या–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 31 / 2020 / एफ0सी0 / 733 / दिनांक 17.09.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग (1.316 है0) पर सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 24 तक की सभी शर्तो का नियमानुसार पालन कर अनुपालन आख्या पूर्व में आपके कार्यालय में प्रेषित किया जा चुका है (अनुपालन आख्या संलग्न), जिसके सापेक्ष निम्न त्रुटियां एवं उनकी निराकरण आख्या निम्न प्रकार से है–

क्र.स.	त्रुटियां / कमियां	निराकरण
1	प्रकरण ऑनलाईन इस कार्यालय में प्रेषित नहीं हुआ है अतः राज्य सरकार कृपया इसे ऑनलाईन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–702 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0, दिनांक 24.03.2021 के क्रम में आपके कार्यालय में प्रेषित है। (अनुपालन आख्या संलग्नक–1) अनुपालन आख्या पूर्व में इस खण्ड द्वारा ऑनलाइन भी अपलोड की गयी थी। पुनः ऑनलाइन अपलोड की जा रही है।
2	शर्त संख्या–3 (ग) की अनुपालना में राज्य सरकार से अनुरोध है, कि वह मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन / संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें। यह प्रतीत होता है कि नोडल कार्यालय द्वारा जांच किये बिना इस कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया है। अतः यह अनुरोध है, कि नोडल कार्यालय प्रकरण की पूर्णतः जांच करने उपरान्त ही इस कार्यालय में प्रेषित करें।	उक्त के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन / संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–794/X-3-22/I(39) / 2020, दिनांक 29 अगस्त 2022 के क्रम में प्राप्त है। (अधिसूचना संलग्नक–2)

3	Vide Point N0 3 (ख), The State Government was requested that additional area in DFL will be Selected. Now, amount is Rs. 8,87,468/- charged for CA and the entire amount proposed for plantation in additional DFL area. State Government may verify that whether plantation of all the saplings will be done only in DFL or in civil soyam land also. If some plantation is required to be done in civil area then submit CA scheme accordingly,	उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी, वन प्रभाग कोटबंगला, उत्तरकाशी के स्तर से की जानी है।
4	Further, CA scheme proposed with old rates and then rate charged for current rate. State Government may prepare detailed component wise breakup CA scheme as per current rates and submit the same,	उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी, वन प्रभाग कोटबंगला, उत्तरकाशी के स्तर से की जानी है।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

o/c

संलग्नक -1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
उत्तरकाशी

दूरभाष एवं फैक्स नं0 -01374 223804
Email Id :- cepmgsyuttarkashi@rediffmail.com

पत्रांक 702 /पी0एम0जी0एस0वाई0/ सि0ख0 दिनांक 24/3/2021

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वनप्रभाग,
कोटबंगला, उत्तरकाशी।

विषय– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 है0 आरक्षित वनभूमि को गैर वानकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरप्रदेश–माप) का पत्रांक संख्या–8 बी0/यू0सी0पी0/06/31/2020/एफ0सी0/1511, दिनांक 09.10.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 है0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 24 तक की सभी शर्तो का निम्नानुसार पालन किया जा चुका है।

क्र.सं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः**	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.632 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ईड गांव सिविल खसरा न0 2852 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 887468.00 CA की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (चालान संलग्न)।
ख	प्रस्तावित सम्पूर्ण 2.632 है0 सिविल सोयम क्षेत्र मे VDF/MDF पाया गया है। अतः सी0ए0 हेतु Degraded वन क्षेत्र में 2.632 है0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF/ VDF के एवज् में रोपण कार्य किया जायेगा।	विषयक परियोजना हेतु प्रस्तावित 1.316 हे0 वनभूमि के दोगुने क्षेत्रफल यानि 2.632 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ईड खसरा न0 2852 रकवा 2.717 हे0 की सिविल सोयम भूमि उपलब्ध है।
ग	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपातंरित किया जायेग। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.632 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 887468.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–1)। विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 1.316 हे0 वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 2.632 हे0 हेतु चयनित स्थल ईड गांव खसरा न0 2852 2852 रकवा 2.717 हे0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने की प्रक्रिया जिलाधिकारी कार्यालय स्थल पर चल रही है।
घ	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

A	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध मे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: .202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998– एफ. सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 मे जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.316 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 864612.00 NPV की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (चालान संलग्न)।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपत्र पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि मे पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 122 Trees including 5 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा राज्य वनविभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल (https://parivesh-nic-in/) ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधक और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित जमा किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
7	The provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be compiled strictly by the State Govt. and User Agency	Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be compiled.
8	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidellines para 11.2 The State Govt. Will Strictly Monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। (एफ0आर0ए0 संलग्न)।
10	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाएगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। (रिपोर्ट संलग्न)
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
13	वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक इधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा डी0पी0आर0 में उक्त कार्य का प्राविधान रखा गया है तथा ठेकेदार द्वारा सीमांकन करवाया जायेगा।

16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मे मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
20	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुरार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
21	पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षक में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड,उत्तरकाशी

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड
3. आदेश पत्रावली।

अधिशासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड,उत्तरकाशी

संलग्नक – 2

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग–3

संख्या– 794 /X-3-22/1(39)/2020

देहरादून: दिनांक: 29 अगस्त, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला उत्तरकाशी में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित कुल 1.316 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 2.632 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0 में)	चयनित क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तरकाशी	ईड	धनारी	2852	2.717	2.632	उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–वर्ग 8
					योगः–	2.632	

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 26-08-2022 18:23:24

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या:– 794 /X-3-22/1(39)/2020,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
7. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
9. उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 26-08-2022 19:46:18

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- /1912/12-1 कोटबंगला दिनांक 28/01/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती। गंगनानी

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.316 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार वन एवं पर्यावरण कार्यालय देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/31/2020/एफ0सी0/733 दिनांक 17.09.2021**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या नोडल कार्यालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 को उच्च स्तर को प्रेषित की गई थी। जिसका अवलोकन करने पर कतिपय त्रुटियां पायी गई है। उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से 04 बिन्दुओं की आख्या मागी गई है। उक्त 04 बिन्दुओं की आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्र–88/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0 दिनांक 19.01.2023 द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है–

क्र.सं	शर्त/त्रुटि का विवरण	निराकरण
1	प्रकरण ऑनलाईन इस कार्यालय में प्रेषित नही हुआ है। अतः राजय सरकार कृपया इसे आफनलाईन प्रेषित करने का कष्ट करें।	इस शर्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा पूर्व में भी अनुपालन आख्या आनलाईन अपलोड की गई थी तथा पुनः अनुपालन आख्या अपलोड की जा रही है।
2	शर्त सं0–03(ग) की अनुपालना में राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 2.4 (i) के अनुसार ,विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें। यह प्रतीत होता है कि नोडन कार्यालय द्वारा जांच किये बिना इस कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि नाकडल कार्यालय प्रकरण की पूर्णतः जांच करने के उपरान्त ही इस कार्यालय को प्रेषित करें।	उक्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल एवं (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–794/x-3-22/I(39)/2020 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्राप्त है।**(संलग्नक–1)**
3	Vide Point NO 03(ख) , The State Government was requested tht additional area in DFL will be Selected. Now, amount is Rs 8,87,468/- Charged for CA and the entire amount proposed for plantation additional DFL area. State government may verify that whether plantation of all the saplings will be done only in DFL or in civil soyam land also. If some plantation is required to be done in civil area then submit CA scheme accordingly.	उक्त के अनुपालन में प्रस्तावित 2.632 हे0 सिविल सोयम क्षेत्र ईड धनारी VDF/MDF पाया गया है। अतः सी0ए0 हेतु सिविल सोयम क्षेत्र के एवज में Degrated forest land धनारी क0सं0–03 में 2.632 हे0 भूमि को रोपण हेतु चयनित किया गया है। जिस हेतु प्रयोक्ता विभाग द्वारा 8,87,468 रू0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। सिविल सोयम क्षेत्र ईड धनारी VDF/MDF होने के कारण उक्त स्थल में वृक्षारोपण किया जाना सम्भव नही है।

4	Further,CA scheme proposed with old rates and then rate charged for currunt rate. State Government may prepare detailed component wise breakup CA scheme as per current rates and submit the same.	Degrated forest land धनारी क0सं0–03 में 2.632 हे0 भूमि में रोपण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8,87,468 रू0 का प्राक्कलन संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के कम मे सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण को यथाशीघ्र उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण मेंससमय विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

संलग्नक-2

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 794 /X-3-22/1(39)/2020
देहरादून: दिनांक 29 अगस्त, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 **वर्ष 1927) की** धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के **अध्याय** 4 के प्रयोजनार्थ जिला उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित कुल 1.316 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 2.632 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते है।

तालिका

क0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0 में)	चयनित क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तरकाशी	ईड	धनारी	2852	2.717	2.632	उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–वर्ग 8
					योग:–	2.632	

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 26-08-2022 18:23:24

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या:– 794 /X-3-22/1(39)/2020,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
7. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
9. उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

उत्तरकाशी वन प्रभाग
पत्रांक 2842
पत्र नली 12-1
दिनांक 25/01/23

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 26-08-2022 19:46:18

आज्ञा से,
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

संलग्नक-02

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के आदेश सं0–1331/8–1(2), दिनांक 01.02.2020 के द्वारा जारी निर्धारित दरों के अनुसार तैयार किया गया।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु योजना का प्राकल्लन ।

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 है0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यार्वतन के सम्बन्ध में।

वृक्षारोपण स्थल का नाम :– अवनत आरक्षित वन भूमि धनारी क0सं0–3 **वृक्षा0 क्षे0फ0** :– 2.632 है0।
जी0पी0एस0 N 30°37' 8.77" & E 78°23' 5.93"

वृक्षारोपण व्यय प्रति है0 (1000 पौध)

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
	प्रथम चरण :– अग्रिम मृदा कार्य।					
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	181.00	है0	181.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है0	5436.00	है0	5436.00
3	दीवालबन्दी (फन्सिंग) 150 रनिंग मी0 150x0.60+0.45/2x1.20=94.50M^3	1	है0	37705.00	है0	37705.00
4	गड्ढा खुदान (0.30×0.30×0.45)	1000	गढ्ढे	11.42	गढ्ढा	11420.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	1095.00	है0	1095.00
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत पॉलोथीन वैग पौधरोपण हेतु	1000	पौध	9.75	पौध	9750.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।	1.0	है0	10000.00	है0	10000.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	1.0	है0	1000.00	है0	1000.00
	योग :– प्रथम चरण					**76587.00**
	द्वितीय चरण :– रोपण कार्य।					
1	पौधों का रखरखाव (द्वितीय वर्ष)	1000	पौध	1.89	पौध	1890.00
2	पौध ढुलान मय 10 प्रतिशत ढुलान में क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी व 75 प्रतिशत बैग पौध लदाई व उतराई सहित।	1000	पौध	7.79	पौध	7790.00
3	कंकड पत्थर छानकर गड्ढों का खाद/किटनाशक मिलाकर भरान करना। (0.30×0.30×0.45)	1000	गढ्ढे	2.04	गढ्ढा	2040.00
4	पौधरोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित।	1000	पौध	3.84	पौध	3840.00
5	रासायनिक खाद 25 ग्रा0 प्रति गड्ढा/किटनाशक 16/–कि0	1000	पौध	1.35	पौध	1350.00
6	निराई–गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	1000	पौध	5.05	पौध	5050.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	1	है0	7725.00	है0	7725.00
8	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	1	है0	1700.00	है0	1700.00
	योग :– द्वितीय चरण					**32069.00**
	तृतीय चरण :– अनुरक्षण प्रथम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य	1000	पौध	2.53	पौध	2530.00
3	वनीकरण क्षेत्रों में रोपित पौधों की सिंचाई।	1000	पौध	1.50	पौध	1500.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**15014.00**
	चतुर्थ चरण :– अनुरक्षण द्वितीय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य	1000	पौध	2.53	पौध	2530.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**13514.00**

	पंचम चरण :– अनुरक्षण तीतृय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**10984.00**
	षष्ठम चरण :– अनुरक्षण चर्तुथ वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**10984.00**
	सप्तम चरण :– अनुरक्षण पंचम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**10984.00**
	अष्ठम चरण :– अनुरक्षण षष्ठम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**10984.00**
	नवम चरण :– अनुरक्षण सप्तम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**10984.00**
	दशम चरण :– अनुरक्षण अष्ठम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**10984.00**
	एकदशम चरण :– अनुरक्षण नवम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**10984.00**
	द्ववदशम चरण :– अनुरक्षण दशम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**10984.00**
	कुल योग :–					**225056.00**

नोट :– प्रभाग के आगणन अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि 230025.00 है, किन्तु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश सं0–972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु0–3,37,184.00 निर्धारित की गई है। अतः क्षति0 वृक्षा0 की धनराशि मु0–3,37,184.00 से निकाली जा रही है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 = 3,37,184.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 2.632 × 3,37,184.00 = 8,87,468.00रू0

Or Say = 8,87,468.00 Rs.

Checked For Rs. 887468/-...

Draftman
Uttarkashi Forest Division
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
डुण्डा वन रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।